राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांक एफ–5/अभि/सीटीएडी/मंत्री अनुशंषा सडक पुलिया/2019–20/35802 दिनांक 17.9.19

परियोजना अधिकारी,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
उदयपुर ।

विषय : सम्पर्क सडक निर्माण कार्यो की वित्तीय स्वीकृतियां।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय मंत्री महोदय के निर्देशानुसार निम्नलिखित सम्पर्क सडक निर्माण कार्यो की विभागीय प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक 28152 दिनांक 16.07.2019 द्वारा जारी की गई थी। कार्यकारी एजेन्सी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने से कॉलम संख्या 5 अनुसार वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है।

कार्यकारी एजेन्सी– ग्राम पंचायत

(राशि लाख रू. मे)

क्र.सं.	कार्य का नाम	पं.सं	तकनीकी स्वी.		स्वीकृत राशि
			क्रमांक	दिनांक	
1	2	3	4		5
1	सी.सी. सड़क निर्माण रामदेवजी मन्दिर से कुम्हार के मोहल्ले की ओर ग्राम बरवाडा ग्रा.पं. ढुण्डी तहसील सायरा	सायरा	173/17.7.19		13.00
2	सी.सी. मय रोड नाली निर्माण ग्रा.पं. चिरवा,	बडगॉव	47/2.8.19		10.00
3	सम्पर्क सडक डांग की तरफ भील बस्ती डांगियो की पंचोली ग्रा.पं. भोईयो की पंचोली	गिर्वा	55/24.7.19		6.00
4	इन्टर लोकिग टाईल्स गमेती बस्ती धुणीमाता ग्रा.पं. भोईयो की पंचोली	गिर्वा	56/24.7.19		5.00
	योग				**34.00**

उपरोक्त कार्य की कुल राशि 34.00 लाख रू. शासन की स्वीकृति संख्या 52/2018–19 दिनांक 16.01.2019 द्वारा प्राप्त राशि में से बचत राशि में से 34.00 राशि रू. लाख परियोजना अधिकारी जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर को हस्तान्तरित करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

कार्य का सम्पादन निम्नांकित शर्तो के अधीन कराया जावे।

शर्ते–

1. **यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब सूचित किया जावें। दोहरा व्यय के लिए सम्बन्धित पंचायत समिति एवं कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।**
2. **उक्त कार्य की तकनीकी रिपोर्ट इस विभाग को भिजवाने पश्चात कार्य प्रारंभ करे तथा यह सुनिश्चित करें कि उपरोक्त स्वीकृत कार्य में अधिकांश जनजाति आबादी लाभान्वित होगें।**
3. कार्यकारी एजेन्सी एवं तकनीकी स्वीकृति जारीकर्ता अधिकारी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की प्रचलित ग्रामीण कार्य निर्देशिका की शर्तो के अनुसार कार्य का सम्पादन गुणवत्तापूर्वक किया जाने हेतु उत्तरदायी होगी।
4. **निर्विवाद सार्वजनिक भूमि पर ही कार्य कराया जावे।**

कृ.पृ.उ.

5. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावें। कार्य पूर्ण होने पर कार्यपूर्णता प्रमाण–पत्र के साथ बचत राशि पुनः विभाग को लोटाई जावें।
6. **राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं संशोधन नियम 2013 तथा सामान्य वित्त एवं लेखा नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन किया जावें।**
7. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व, प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये एवं स्वीकृति कार्य की geo-tagging कर soft copy मे comm.tad@gmail.com पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावें।
8. परियोजना अधिकारी इस कार्यालय के पत्र कमांक 20728–80 दिनांक 23.05.2019 द्वारा निर्देशानुसार जिन कार्य की कार्यकारी एजेन्सी ग्राम पंचायत नियुक्त की गई उन कार्यो की राशि सीधे ही ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित नही कर संबंधित विकास अधिकारी पंचायत समिति को नियमानुसार हस्तान्तरित करेंगे।
9. ग्रामीण कार्य निर्देशिका के प्रावधानों के अनुसार कार्यो का सम्पादन किया जावेगा एवं नियमानुसार उपयोगिता/कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर शेष राशि उपलब्ध करायेंगे।
10. कार्य स्थल पर जनजाति विभाग द्वारा निर्माण कार्य का साईन बोर्ड (Display Board) लगाया जावें।

भवदीय

(विकास सीताराम जी भाले)I.A.S
आयुक्त

एफ–5/अभि/सीटीएडी/मंत्री अनुशंषा सडक पुलिया/18–19/35802-10 दिनांक 17.9.19

प्रतिलिपि–

1. विशिष्ठ सहायक, मां. मंत्री महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, उदयपुर ।
4. वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि शासन की स्वीकृति संख्या 52/2018–19 दिनांक 16.01.2019 द्वारा प्राप्त राशि में से बचत राशि में से राशि रू. 34.00 लाख परियोजना अधिकारी जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर को हस्तान्तरित करें।
5. निदेशक, मोनिटरिंग, कार्यालय हाजा।
6. कम्प्यूटर शाखा, कार्यालय हाजा।
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति सायरा/बड़गांव/गिर्वा जिला उदयपुर ।
8. गार्ड फाईल।

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय)

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) PABX: 2428721– 24 फेक्स : 0294–2428721
ई–मेल : comm.tad @gmail.com.,Website www.tad.rajasthan.gov.in